



दिनांक 08.09.2023

प्रेस विज्ञप्ति 09/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विकशन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय-समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विकशन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- जनपद भदोही/थाना गोपीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद भदोही पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद भदोही द्वारा थाना गोपीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजय कुमार को सश्रम आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बदायूँ/थाना गुन्नौर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद बदायूँ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा थाना गुन्नौर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1-अशोक 2-नेकासी पुत्र झारु 3-नेकासी पुत्र रामफल को धारा 302/149/147/148 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 13-13 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त अशोक को धारा 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष के कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद रायबरेली/थाना गुरुबक्शगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रायबरेली द्वारा थाना गुरुबक्शगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त चन्दन को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बाराबंकी/थाना कुर्सी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कुर्सी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त टिकू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद सिद्धार्थनगर/थाना चिल्हिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष व 01 वर्ष के कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना चिल्हिया पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त सुग्रीव को धारा 307/324/34 भादवि के अन्तर्गत 07 वर्ष के कारावास व 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्त सत्यनरायन व अभियुक्ता को धारा 34 भादवि में 01 वर्ष के कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद उन्नाव/थाना अचलगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना अचलगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कुलदीप को 07 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद उन्नाव/थाना बिहार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना बिहार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कमल उर्फ कमलेश को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद महोबा/थाना पनवाड़ी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 22 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना पनवाड़ी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/354/506 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नारायणदास को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद अमेठी/थाना अमेठी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना अमेठी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 504/506 भादवि व 10 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुशील कुमार उर्फ लम्बू को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

जनपद अयोध्या/थाना गोसाईगंज

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 01 मोटर साइकिल
- 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 08.09.2023 को थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टण्डौली नहर पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त नन्हे घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त

के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद अयोध्या से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-नन्हे निवासी ग्राम कालूपुर बरखेड़ा थाना बिसौली जनपद बदायूं।

बरामदगी

1-चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2-01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली नगर

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 161.50 किलोग्राम विद्युत केबिल तार
- 01 बोलेरो वाहन बरामद

दिनांक 07.09.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1-अशरफ 2-ताजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 161.50 किलोग्राम विद्युत केबिल तार, 01 बोलेरो वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अशरफ के विरुद्ध जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अशरफ निवासी मेवतियान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
- 2—ताजू निवासी शास्त्रीनगर तोपखाना थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

- 1—चोरी की 161.50 किलोग्राम विद्युत केबिल तार।
- 2—01 बोलेरो वाहन।

जनपद ललितपुर/थाना महरौनी

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- 64 किलो 585 ग्राम अवैध गांजा
- 01 बुलेरो वाहन आदि बरामद

दिनांक 08.09.2023 को थाना महरौनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बानपुर रोड ग्राम पडवा के पास से 02 अभियुक्तों 1—विवेक कुमार 2—अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 64 किलो 585 ग्राम अवैध गांजा, 01 बुलेरो वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना महरौनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—विवेक कुमार निवासी भुजौंद थाना मोठ जनपद झांसी।
- 2—अनिल कुमार निवासी भटीपुरा कस्बा व थाना महोबा जनपद महोबा।

बरामदगी

- 1—64 किलो 585 ग्राम अवैध गांजा।
- 2—01 बुलेरो वाहन आदि।

जनपद हापुड़ / थाना कपूरपुर

● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 05 दो पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 07.09.2023 की रात्रि थाना कपूरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दहीरपुर जंगल के पास से 02 अभियुक्तों 1-नन्दू उर्फ नरेन्द्र उर्फ मनवीर 2-फईम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कपूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-नन्दू उर्फ नरेन्द्र उर्फ मनवीर निवासी धौलिया गांव खानपुर थाना नेवसराय दिल्ली।

2-फईम निवासी आलीगांव थाना सरिता बिहार दिल्ली।

बरामदगी

1-चोरी की 05 दो पहिया वाहन आदि।

➤ कमिश्नरेट गाजियाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ रुपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने अभियुक्त महबूब अली पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम पावी थाना ट्रॉनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।